



Coal India Limited  
A Maharatna Company  
www.coalindia.in

**CENTRAL COALFIELDS LIMITED**  
(Govt. of India Undertaking)  
DARBHANGA HOUSE, RANCHI 834 001  
Phone: (0651)236 0606 (10 Lines), 236 0123



Ref: CCL/HQ/C-4/22-23/ 1830

Date: 22/09/2022  
23

**NOTICE REGARDING DEALER REGISTRATION IN JIMMS PORTAL**

All consumers taking coal from CCL are again informed that as advised by Mining Dept, Govt of Jharkhand, dealer license registration is compulsory for all consumers taking coal. Notice No. 04/M, Ranchi Dated 12/01/2021 has been attached here for ready reference for perusal and necessary action at the end of consumers.

23/9/22  
General Manager (M&S)  
CCL Ranchi

**For Distribution:**

- 1) All Area General Managers, CCL
1. All Area Sales Managers, CCL
2. Dy.Mgr (M&S-RS), CCL HQ Ranchi: To arrange uploading of notice on CCL Website



C.G.M.  
Sectt. (NK)  
No. 1652  
Date 12/9/22

झारखण्ड सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग  
खान निदेशालय

कार्यालय आदेश

संख्या-खानि(नी.नि.)-1/2021

04 / एम0, राँची, दिनांक- 12/01/2021

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम-3 एवं 4 के अन्तर्गत JIMMS Portal पर प्राप्त Dealer License Registration आवेदन का निस्तार अपने-अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबंधित जिला के जिला खनन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. Dealer License खनिजवार एवं स्थानवार होगा।
3. Dealer License धारक द्वारा नियमित रूप से मासिक विवरणी दाखिल करना एवं जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य होगा।
4. नया एवं पूर्व से धारित Dealer License के क्रियाकलापों का मासिक ब्यौरा संबंधित अंचल के उप निदेशक, खान द्वारा अनुवर्ती माह के 15 तारीख तक समीक्षा एवं अनुमोदन आवश्यक होगा।
5. Dealer License से संबंधित पूर्व से निर्गत एवं समय-समय पर निर्गत होने वाले विभागीय दिशा निदेशिका का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू होगा।
7. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(शंकर कुमार सिन्हा)  
निदेशक, खान

ज्ञापाक-

77 / एम0, राँची, दिनांक- 12/01/2021

प्रतिलिपि-अपर निदेशक, खान/सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान  
12/1/2021

1. All POB Nil KDH
2. ASM, NA for N.

13/5/2022

को पो/केडीएन/संचालन/प्राप्ति  
क्रमांक 925 दिनांक 13/9/22